बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य (वित्त) मंत्री

फरवरी, 2013

विषय सूची

	पृष्ठ
(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-5
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	6-12
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	12-18

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को 18 फरवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों को रखेगी । उक्त के आलोक में विवरणियाँ निम्नवत है:-

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

1.1 बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका क.1 में प्रदर्शित है ।

तालिका क.1ःअर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र / वर्ष	अखिल भारत		बिहार	
	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12
प्राथमिक	19.03	14.01	31.54	22.39
द्वितीयक	20.22	19.22	13.76	19.62
तृतीयक	60.75	66.77	54.70	57.98

स्रोत- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ।

नोटः- वर्ष 2011-12 के आंकड़े त्वरित अनुमानित है ।

1.2 वर्ष 2004-05 से 2011-12 की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं । राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.03 प्रतिशत से घटकर 14.01 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 20.22 प्रतिशत से घट कर 19.22 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 60.75 प्रतिशत से बढ़कर 66.77 प्रतिशत हो गया है । इसी अवधि में बिहार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 31.54 प्रतिशत से घटकर 22.39 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.76 प्रतिशत से बढ़कर 19.62 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.70 प्रतिशत से बढ़कर 57.98 प्रतिशत हो गया है ।

1.3 वर्ष 2004-05 में अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का योगदान 2.62 प्रतिशत था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 2.92 प्रतिशत हो गया है । वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में राज्य के घरेलू उत्पाद में 16.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Compounded Annual Growth Rate) 12.0 प्रतिशत रही है, जबकि इसके पूर्व 10वीं पंचवर्षीय येाजना (2002-2007) में यह केवल 5.7 प्रतिशत ही थी ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-

2.1 वर्ष 2011-12 के त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) में गत वर्ष की तुलना में 16.71 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है ।

2.2 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में 12.0 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 7.7 प्रतिशत से काफी अधिक है । वर्ष 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 15.61 प्रतिशत, 18.35 प्रतिशत तथा 16.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

2.3 वर्ष 2011-12 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 252694 करोड़ रूपये है । इसमें पिछले वर्ष के प्रावधिक अनुमान की तुलना में 25.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि वर्ष 2010-11 की तुलना में 23.23 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक है । वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान तथा उनमें वृद्धि/कमी की स्थिति तालिका क.2 में दर्शाई गई है ।

तालिका क.2

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2004-05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	क्षेत्र	2010-11 (प्रावधिक अनु.)	2011-12 (त्वरित अनु.)	2010-11 की तुलना में 011-12 में प्रतिशत वृद्धि /कमी
1	कृषि /पशुपालन	25762	30182	17.16
2	वानिकी /काष्ठ उत्पादन	2414	2365	-2.03
3	मत्स्य उद्योग	1223	1458	19.22
4	खनन /प्रस्तर खनन	106	106	0.00
	उप योग (प्राथमिक)	**29506**	**34111**	15.61
5	विनिर्माण	**6805**	**7415**	8.96
	(i) निबंधित	2262	2659	17.65
	(ii) अनिबंधित	4543	4755	4.67
6	निर्माण	16572	20483	23.60
7	विद्युत /जलापूर्ति /गैस	1715	1798	4.84
	उप योग (द्वितीयक)	**25092**	**29695**	18.34
8	परिवहन /भंडारण/ संचार	10686	12299	15.09
	(i) रेलवे	2306	2417	4.81
	(ii) अन्य परिवहन	3373	3839	13.82
	(iii) भंडारण	90	97	7.78
	(iv) संचार	5007	6043	20.69
9	व्यापार /होटल/ रेस्टोरेंट	30541	36114	18.25
	उप योग (8+9)	**41227**	**48413**	17.43
10	बैंकिंग / बीमा	6599	8967	35.88
11	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	7019	7759	10.54
	उप योग (10+11)	**13618**	**16726**	22.82
12	लोक प्रशासन	7653	8469	10.66
13	अन्य सेवाएं	13029	14451	10.91
	उप योग (तृतीयक)	**75527**	**88060**	16.59
	कुल जी0एस0डी0पी0	**130125**	**151866**	**16.71**

स्रोत- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2011-12 में राजस्व अधिक्य 4820.69 करोड़ रू० हुआ जबकि बजट अनुमान में 6272.30 करोड़ रू० अनुमानित था । वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा 6194.04 करोड़ रू० के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविकी के अनुसार 5914.88 करोड़ रू० हुआ है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद 252694.34 करोड़ रूपये का 3.0 प्रतिशत) के भीतर है एवं मात्र 2.31 प्रतिशत है ।

3.2 वर्ष 2011-12 के वास्तविकी के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 51320.18 करोड़ रू० है जो बजट अनुमान 56205.86 करोड़ रू० से कम है । इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व एवं केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में बजट अनुमान से कम राशि प्राप्त होना है ।

3.3 वर्ष 2011-12 में राज्य के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 12612.10 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 12582.90 करोड़ रूपये से 0.23 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2011-12 में राज्य के करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 889.86 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 2985.94 करोड़ रूपये से 70.20 प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण पेंशन मद में झारखण्ड राज्य से अनुमानित राशि 2000.00 करोड़ रूपये प्राप्त नहीं होना था। वर्ष 2010-11 में कर राजस्व एवं करेतर राजस्व में क्रमशः 9869.85 करोड़ रूपये एवं 985.53 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है ।

4. संभावनाएं-

4.1 वर्ष 2010-11-2011-12 में बिहार राज्य में पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर 17.65 प्रतिशत है । विनिर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है; परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र की विकास दर में और सुधार की आशा है ।

4.2 वर्ष 2011-12 में ससमय वर्षा के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में 17.16 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है इससे राज्य की अर्थिक विकास दर में सुधार हुआ है ।

4.3 वर्ष 2011-12 में तृतीयक क्षेत्र के बैकिंग एवं बीमा क्षेत्र में 35.88 प्रतिशत एवं संचार परिक्षेत्र में 20.69 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है ।

4.4 राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में मात्र 2.31 प्रतिशत रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रहा है । वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिसीमा 3.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है ।

तालिका क.3:- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रूख

अनु० क्र०	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष 2011-12 (वास्तविकी)	चालू वर्ष 2012-13 (बजट अनुमान)	आगामी वर्ष 2013-14 (बजट अनुमान)	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्त्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्त्तन (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ	**51320.18**	**68047.86**	**80066.47**	32.59	17.66
2	कर राजस्व (क+ख)	**40547.33**	**48821.63**	**58943.68**	20.41	20.73
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	27935.23	33126.33	37980.98	18.58	14.65
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	12612.10	15695.30	20962.70	24.45	33.56
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	**889.86**	**3142.46**	**3416.08**	253.14	8.71
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	**9882.98**	**16083.77**	**17706.71**	62.74	10.09
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**6725.88**	**9336.48**	**11832.69**	38.81	26.74
6	(क) ऋणों की वसूली	22.51	15.05	13.28	-33.14	-11.76
	(ख) अर्न्तराज्यीय परिशोधन	75.40	0.00	0.00	-100.00	0.00
	लोक ऋण (7+8)	**6627.96**	**9321.43**	**11819.41**		26.80
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5801.39	7778.37	10393.36		33.62
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	826.56	1543.06	1426.05		-7.58
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	**58046.05**	**77384.34**	**91899.16**		18.76
10	आयोजना भिन्न व्यय	**37173.55**	**45322.97**	**53081.63**		17.12
11	राजस्व खाते पर जिसमें	**34012.66**	**42079.31**	**49602.13**		17.88
12	(क) ब्याज भुगतान	4303.66	5186.00	5887.97	20.50	13.54
12	(ख) पेंशन	7808.45	10043.02	11274.04	28.62	40.64
12	(ग) वेतन	11504.45	14100.66	16836.92	22.57	34.08
13	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ+ड०)	**3160.59**	**3243.66**	**3479.50**	2.63	86.68
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	2456.98	2588.68	2660.13	5.36	33.32
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	465.48	465.80	578.60	0.07	21.92
	(ग) पूंजीगत व्यय	39.59	102.28	149.33	158.35	23.72
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	197.44	86.91	91.44	-55.98	5.21
	(ड०) अर्न्तराज्यीय परिशोधन	1.40	0.00	0.00	-100.00	0.00
14	आयोजना व्यय	**23007.89**	**33363.85**	**39006.30**	45.01	16.91
	(क) राज्य योजना	20321.76	28000.00	34000.00	37.78	21.43
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	2686.13	5363.85	5006.30	99.69	-6.67
15	राजस्व खाते पर	12486.83	18879.96	23655.49	51.20	25.29
16	पूंजीगत खाते पर	10521.06	14483.89	15350.81	37.67	5.99
17	कुल व्यय (10+14)	**60181.43**	**78686.82**	**92087.93**	30.75	17.03
18	राजस्व व्यय (11+15)	46499.49	60959.27	73257.62	31.10	20.17
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	13681.95	17727.56	18830.3	29.57	6.22
20	राजस्व घाटा (18-1)	-4820.69	-7088.59	-6808.85	47.05	-3.95
21	राजकोषीय घाटा **{17-(1+6+13क+13ख)}**	5914.88	7569.43	8769.45	27.97	15.85
22	प्राथमिक घाटा (21-12क)	1611.22	2383.43	2881.48	47.93	20.90
23	जी.एस.डी.पी.	**252694.34**	**263876.00**	**314155.00**	4.42	19.05
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.31%	2.87%	2.79%	24.24	-2.74
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	8.39%	7.62%	7.35%	-9.18	-3.49

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणः-

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया । उक्त के आलोक में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष बनाये रखना था । वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत तक रखा जाना था । आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये क्रमशः 4.00 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत रखा गया था । वर्ष 2011-12 के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया है । आगामी वर्षों में भी 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को 3.00 प्रतिशत की सीमा में रखा जायेगा । इसके साथ ही 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्त्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रू० में)

क्र0 सं0	मद	वास्तविकी	वास्तविकी	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
1	सकल घरेलू उत्पाद	201855.76	252694.34	263876.00	314155.00	350282.83	390565.35
2	राजस्व बचत	6316.41	4820.69	7088.59	6808.85	7149.29	7506.76
3	राजकोषीय घाटा	3970.31	5914.88	7569.43	8769.45	10508.48	11716.96
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	47284.86	50990.36	57257.31	65837.99	72921.24	81346.47
5	कर राजस्व	33848.23	40547.33	48821.63	58943.68	70732.42	84878.90
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	3.13	1.91	2.69	2.17	2.04	1.92
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	1.97	2.34	2.87	2.79	3.00	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	16.77	16.05	18.50	18.76	20.19	21.73
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	23.43	20.18	21.70	20.96	20.82	20.83

नोटः जी.एस.डी.पी. के वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्र सं0- 2204 दिनांक- 27-12-2012 के आधार पर रखे गये है । वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े भारत सरकार क पत्रांक-40(6)पी०एफ०/2009 दिनांक-27.12.2012 से लिये गये हैं। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में वर्ष 2013-14 पर 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का आधार मानते हुए प्रत्येक वर्ष दिखलाया गया है ।

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) **राजस्व प्राप्तियाँ :-**

(क) **<u>कर राजस्व</u>** - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 37980.98 करोड़ रू० अनुमानित है । केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य के हिस्से को वर्ष 2012-13 में भारत सरकार के बजट अनुमान पर 15 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए अनुमानित किया गया है । वर्ष 2013-14 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 20962.70 करोड़ रू० है ।

(ख) **<u>करेत्तर राजस्व</u>** - वर्ष 2013-14 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 3416.08 करोड़ रू० अनुमानित है जिसमें 2000.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है ।

(ग) **<u>कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा</u>** - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2012-13 (पुनरीक्षित अनुमान) में 16455.10 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2013-14 में 20962. 70 करोड़ रूपया प्राप्त होना अनुमानित किया गया है । वर्ष 2012-13 (पुनरीक्षित अनुमान) के कुल राजस्व में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 24.68 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 26.18 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।

(घ) **<u>कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा</u>** - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने करेत्तर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2012-13 (पुनरीक्षित अनुमान) में 1239.71 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2013-14 में 3416.08 करोड़ रूपया प्राप्त होना अनुमानित किया गया है । वर्ष 2012-13 (पुनरीक्षित अनुमान) के कुल राजस्व में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा 1.86 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 4.27 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।

(2) **पूंजीगत प्राप्तियाँ :-**

वर्ष 2013-14 में पूंजीगत प्राप्तियां 11832.69 करोड़ रू० होने की संभावना है जो वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित अनुमान से 1205.61 करोड़ रूपये कम है ।

वर्ष 2013-14 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

(क) **केन्द्र से उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2013-14 में 1426.05 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है ।

(ख) **राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां**- राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है । परन्तु यह राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर अनिवार्यतः लेना पड़ता है । वर्ष 2013-14 में इस मद में 850.00 करोड़ रू० प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ग) **वित्तीय संस्थानों से उधार** - बाजार ऋण के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 7545.75 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है । नाबार्ड से वर्ष 2013-14 में 1969.00 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है । इसलिए यह ऋण सबसे सस्ता स्रोत है । वर्त्तमान में 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त होता है ।

(घ) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - 31 मार्च 2012 की स्थिति में राज्य का 18525.76 करोड़ रूपया उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग 14730.25 करोड़ रू० बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य जल विद्युत निगम पर बकाया है ।

(च) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि** - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है । उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की आपूर्ति करने के लिये किया जाएगा ।

(च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व** - वर्ष 2011-12 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2012 की समाप्ति पर लोक ऋण 50990.36 करोड़ रूपये है । राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधि की 9561.29 करोड़ रूपये की राशि) को जोड़कर यह राशि 60551.65 करोड़ रूपये होती है ।

तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(करोड़ रूपये में)

अनु0 क्र.	प्रवर्ग	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववत्ती वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	आगामी वर्ष 2013-14	पूर्ववत्ती वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	आगामी वर्ष 2013-14	पूर्ववत्ती वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	आगामी वर्ष 2013-14
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	आन्तरिक ऋण									
(i)	बाजार उधार	4000.00	5048.78	7545.75	1406.10	1336.02	1153.91	20173.90	23886.66	30278.50
(ii)	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1112.54	1500.00	850.00	606.98	713.00	855.00	18832.08	19619.08	19614.08
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	663.83	1200.00	1969.00	230.18	323.00	435.06	2489.16	3366.16	4900.10
(iv)	बन्ध पत्र	0.00	0.00	0.00	207.90	209.66	209.66	850.02	640.36	430.70
(v)	अन्य ऋण	25.03	29.59	28.61	5.82	7.00	6.50	28.50	51.09	73.20
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.86	-8.86	-8.86
	कुल आन्तरिक ऋण	**5801.40**	**7778.37**	**10393.36**	**2456.98**	**2588.68**	**2660.13**	**42364.80**	**47554.49**	**55287.72**
2	केन्द्र से ऋण	826.56	1543.06	1426.05	465.48	465.80	578.60	8625.56	9702.82	10550.27
	कुल लोक ऋण	**6627.96**	**9321.43**	**11819.41**	**2922.46**	**3054.48**	**3238.73**	**50990.36**	**57257.31**	**65837.99**
3	लोक लेखा (अल्पबचत, भविष्य निधि इत्यादि)	1031.81	806.35	1260.33	1033.94	676.27	1137.34	9561.29	9691.37	9814.36
	योग	**7659.77**	**10127.78**	**13079.74**	**3956.40**	**3730.75**	**4376.07**	**60551.65**	**66948.68**	**75652.35**

(3) <u>**कुल व्यय**</u> :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा गैर-आयोजना व्यय को सम्मिलित किया जाता है । वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय 23655.49 करोड़ रूपये एवं गैर-आयोजना राजस्व व्यय 49602.13 करोड़ रू० अनुमानित है ।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अनुदान शामिल है ।

(i) **ब्याज भुगतान** - वर्ष 2013-14 में 5887.97 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है ।

(ii) **वेतन** - वर्ष 2013-14 में गैर-आयोजना मद में 16836.92 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है । इस वेतन मद की राशि में राज्य सरकार के कर्मियों को भुगतान की जाने वाली राशि को ही सम्मिलित किया गया है । लोक उपक्रम/विश्वविद्यालयों इत्यादि के कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है, इसमें शामिल नहीं है ।

(iii) **पेंशन** - पेंशन मद में वर्ष 2013-14 में 11274.04 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) **पूंजीगत लेखा** -

(i) **उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2013-14 में उधार तथा अग्रिम मद में 1394.38 करोड़ रूपया अनुमानित है जिसमें गैर-आयोजना मद में 91.44 करोड़ रूपये और आयोजना मद में 1302.94 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ii) **पूँजीगत परिव्यय** -राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है । वर्ष 2013-14 में आयोजना मद में 14047.87 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 149.33 करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है ।

(4) **राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि** :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर 11.95 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि दर हासिल हुई है। वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद 314155.00 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा आकलित की गयी है उसे ही दिखलाया गया है और वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में वर्ष 2013-14 पर 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का आधार मानते हुए प्रत्येक वर्ष दिखलाया गया है ।

(5) **संवहनीयता का निर्धारण :**

(i) **<u>सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन</u>** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो । वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान के अनुसार कुल कर राजस्व की राशि जी०एस०डी०पी० का 25.79 प्रतिशत है तथा वर्ष 2013-14 में इसके 25.49 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2012-13 में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 5.95 प्रतिशत है और यह वर्ष 2013-14 में 6.67 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 12.55 प्रतिशत है और यह वर्ष 2013-14 में 12.09 प्रतिशत संभावित है ।

वर्ष 2012-13 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.62 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में घट कर 7.35 प्रतिशत हो जाने की संभावना है । यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से कम है ।

वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 25.37 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2013-14 में 24.08 रहने की संभावना है ।

(ii) **<u>गैर-आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान</u>** - वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2012-13 की तुलना में वेतन मद में 19.41 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 12.26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है । वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2011-12 की तुलना में 20.50 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2012-13 की तुलना में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । गैर-आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2013-14 में 17.88 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है ।

(iii) **<u>पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग</u>** - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार आठवें वर्ष राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है । सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश

को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

(iv) **<u>आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना</u>** - वर्ष 2013-14 में पेंशन मद में 11274.04 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2013-14 से आगे के वर्षों के लिए 16 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है ।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षो के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पेंशन
2013-14	11274.04
2014-15	13077.89
2015-16	15170.35
20116-17	17597.60
2017-18	20413.22
2018-19	23679.34
2019-20	27468.03
2020-21	31862.91
2021-22	36960.98
2022-23	42874.74

(ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरणः-

(1) **<u>राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार</u>** : राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी । इसके साथ ही समावेशी वृद्धि की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-आयोजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

ऋणों की अदला-बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है । इस कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है ।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2013-14 बजट अनुमान में 33.56 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है । करेत्तर राजस्व में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2013-14 बजट अनुमान में 8.71 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है ।

गैर-आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 17.88 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों को सातवीं वेतन समिति की अनुशंसा अनुरूप वेतनमान, महंगाई भत्ते/राहत की अतिरिक्त किश्त एवं बकाया एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनों एवं पेंशन में वृद्धि है ।

राज्य का राजस्व अधिक्य वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान 7088.59 करोड़ रू० की तुलना में वर्ष 2013-14 में 6808.85 करोड़ रू० अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान 7569.43 करोड़ रू० की तुलना में वर्ष 2013-14 में 8769.45 करोड़ रू० अनुमानित है । यह राजकोषीय संकेतक बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में है ।

(2) **<u>आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति</u> :** चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा ।

(अ) कर नीति : कर की दरों को युक्ति युक्त बनाकर कराधार को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । साथ ही कर की अपवंचना को रोकना और कर संग्रहण में सूचना एवं प्रावैधिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । कर संग्रहण से जुड़े कर्मियों के कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा तथा अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का बल है । राज्य सरकार के अपने कर संग्रहण में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 27.78 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गयी है ।

अपने कर की दरों को युक्ति युक्त बनाने के लिए बिहार वित्त विधेयक, 2013 लाया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैः-

बिहार वित्त विधेयक, 2013 के तीन भाग है :-

1 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन,

2. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन तथा

3. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन ।

भाग-(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन

असंगठित क्षेत्र में आने वाला कोयला, स्टोन चिप्स, मार्बल एवं लकड़ी जैसी वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा-प्रपत्र के माध्यम से मंगवाये जाने में व्यवसायियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्त्तमान इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के अधीन ऐसे व्यवसायियों को विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों से अनुज्ञा-प्रपत्र जेनरेट कराया जाना आवश्यक है। ऐसे व्यवसायियों की संख्या बहुत बड़ी है एवं माल मंगवाये जाने के बाद इन पर यथोचित अनुश्रवण की व्यवस्था करना काफी दुष्कर कार्य है जिसमें राजस्व क्षति की प्रबल संभावना है। इन वस्तुओं पर देय राजस्व को सुनिश्चित करने एवं ऐसे व्यवसायियों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस मद में चिन्हित वस्तुओं पर देय कर के बदले नियत राशि अथवा नियत दर से कर का भुगतान अग्रिम के रूप में किये जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इसके लिए अधिनियम में नई धारा 15ख अंतर्विष्ट किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से लगभग रू० 25 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति संभावित है।

भाग-(2) बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन-

वर्त्तमान में ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रू० 3 लाख से अधिक है द्वारा पेशा कर का भुगतान किया जाना है। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा, देय ब्याज समेत, पेशा कर की अधिकतम सीमा रू० 2500 का भुगतान कर दिया गया है को छोड़कर शेष सभी करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल किया जाना अनिवार्य है। इस कारण, अनेक पेशेवरों पर विवरणी दाखिल करने की बाध्यता के साथ-साथ विभाग पर भी इन विवरणियों के प्रसंस्करण का प्रशासनिक भार पड़ता है। अतः वेतन से भिन्न मद में आय प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को विवरणी दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त करने के उद्देश्य से बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-7 में संशोधन का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

भाग-(3) बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन-

परिवहन विभाग के द्वारा उक्त अधिनियम में संशोधन कर सार्वजनिक यातायात में महिला को प्रोत्साहन हेतु पथ कर में छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-7 की उप धारा (5) में अर्न्तनिहित परन्तुक को विलोपित किया जा रहा है ताकि अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के करों में मुद्रा स्फीति के अनुरूप वृद्धि करना संभव हो। ट्रैक्टर एवं ट्रेलर के करों का युक्तिकरण किया जा रहा है जिसमें गैर कृषि कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले ट्रैक्टरों पर उनके क्रय मूल्य का 2 प्रतिशत की दर से एक मुश्त आजीवन कर देय होगा एवं निबंधित ट्रेलर पर आजीवन एकमुश्त कर 10,000 रूपये का अधिरोपण प्रस्तावित है।

ई-पेमेंट बिना पदाधिकारी के हस्ताक्षर के टैक्स टोकन के रूप में व्यवहार किया जा सकेगा। अन्य राज्यों के निबंधित वाहनों के अवैध परिचालन पर दण्ड का युक्तिकरण किया जा रहा है जिसमें दण्ड की राशि किसी भी स्थिति में 5000 रूपये से कम नहीं होगी। निजी वाहनों यथा मोटर साईकिल, कार, जीप, ओमनी बस पर क्रय मूल्य का 7 प्रतिशत करारोपण किया जाना प्रस्तावित है। नये निबंधित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर पूर्व में दर निर्धारित थी उसके स्थान पर क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत एवं चार सीटों वाली पुरानी निबंधित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर 3200 रूपया वार्षिक एवं चार से अधिक सीटों पर प्रतिसीट अतिरिक्त 500 रूपया वार्षिक कर देय प्रस्तावित है। तिपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त चार व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता वाले वाहनों पर 9000 रूपये एकमुश्त 15 वर्षों के लिए अथवा निबंधन की तिथि से 6000 रूपये 10 वर्षों के लिए एकमुश्त एवं अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए 6000 हजार रूपये की दर से कर प्रस्तावित है। तिपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त सात व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता वाले वाहनों पर 13500 रूपये एकमुश्त 15 वर्षों के लिए अथवा निबंधन की तिथि से 9000 रूपये 10 वर्षों के लिए एकमुश्त एवं अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए 9000 हजार रूपये की दर से कर प्रस्तावित है। पैसेंजर वाहनों पर देय रोड टैक्स एवं अतिरिक्त कर का संविलयन कर प्रतिसीट के आधार पर वार्षिक कर जिसमें 13 से 26 व्यक्तियों पर 500 रूपया, 27 से 32 व्यक्तियों पर 550 रूपये, 33 या 33 व्यक्तियों से अधिक पर 650 रूपया एवं वोल्वो, मर्सिडीज एवं इसके समतुल्य बसों पर 1000 रूपये की दर से अधिरोपण प्रस्तावित है। निःशक्त जनों के वाहनों हेतु पथ कर नहीं लगेगा।

प्रस्तावित संशोधन से लगभग 61 करोड़ रूपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति प्रतिवर्ष प्राप्त होना संभावित है ।

(ब) व्यय नीति : गैर-आयोजना के अनुत्पादक व्यय में कमी करना, राज्य योजना व्यय में वृद्धि करना, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्था निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शानि वाले विवरणी ''परिणाम बजट'' की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी । इसी परिपाटी के क्रम में वर्ष 2013-14 के लिए परिणाम बजट, बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2013-14 हेतु भी जेण्डर बजट, बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) उपलब्धि प्रतिवेदन:- वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जूलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है । वर्ष 2012-13 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) <u>**ऋण एवं आकस्मिक दायित्व**</u>: वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरुप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है । आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है । 31 मार्च 2012 में इस निक्षेप निधि में जमा की गयी राशि 676.43 करोड़ रूपये की है । विवरणी निम्नलिखित है-

तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रूपये में)

मद	1 अप्रैल 2011 को शेष	वर्ष 2011-12 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2012 को शेष
निक्षेप निधि	440.00	236.43	97.09	773.52

(4) <u>आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ:</u>

(i) प्रत्येक विभाग के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करना- लेखा कर्मियों का प्रशिक्षण

(ii) मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत राज्य के वित्तीय संस्थानों तथा सभी विभागों के वित्तीय संव्यवहारों को ऑनलाइन करने हेतु वित्त विभाग एवं कोषागारों सहित अन्य सभी संबंधित एजेंसियों यथा- भारतीय रिजर्व बैंक, सभी बैंक, महालेखाकार, सी०ए०जी० को एक प्रणाली के तहत जोड़ा जा रहा है, जिससे करदाताओं द्वारा ऑनलाइन कर भुगतान, आम आदमी द्वारा कहीं से किसी बैंक के माध्यम से घर बैठे सरकारी कोष में धन जमा करना, बिक्री कर वापसी की प्रक्रिया को सुगम बनाना सुनिश्चित होगा,

(iii) जन शिकायत कोषांग का सुदृढ़ीकरण करना,

(iv) राज्य कर्मियों की उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दिया जाना तथा

(v) सभी राज्य कर्मियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत करना तथा पेंशन का डाटा बेस बनाना ।

(5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

(i) सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्द्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है । राज्य में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है । इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है ।

(ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्त्तनों को ध्यान में रखा जाता है । ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता बढ़ाना है ।

(iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन में लगने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । इस हेतु कृषि रोड मैप तैयार किया गया है ।

(6) **<u>नीति मूल्यांकन</u>** : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2011-12 की वास्तविकी, वर्ष 2012-13 के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

****

(c) Copyright 2013 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056